राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम संख्या 15)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अप्रैल, 1987 की प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं को मृत्यु और निवृत्ति फायदों का संदाय करने के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि के गठन और उसका उपयोग करने तथा उससे संबंधित और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाया है:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 है ।

2. इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।

3. वह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं.- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम मे,-

(क) "अधिवक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 25) की धारा 17 के अधीन राजस्थान राज्य की बार काउन्सिल द्वारा तैयार और संधारित राज्य के अधिवक्ताओं की नामावली में दर्ज है और जो किसी बार संगम का सदस्य है;

(कक) "बार संगम" से बार काउन्सिल द्वारा रजिस्ट्रीकृत और मान्यता प्राप्त वकीलों का सगम अभिप्रेत है;

(ख) “निधि" से धारा 3 के अधीन गठित अधिवक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(ग) "बार काउन्सिल" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 25) के अधीन गठित राजस्थान राज्य को बार काउन्सिल अभिप्रेत है;

(घ) "विधि व्यवसाय का बन्द कर दिया जाना" से अधिवक्ता की निवृत्ति या मृत्यु के कारण बार काउन्सिल द्वारा संधारित राज्य के अधिवक्ताओं की नामावली से उनके नाम का हटाया जाना अभिप्रेत है;

(ड.) "आश्रित" से निधि के किसी सदस्य की पत्नी, पति, पिता, माता और अविवाहित अवयस्क बच्चें अभिप्रेत है और इसमें उसकी विधवा पुत्री तथा ऐसे वयस्क बच्चें, जो शारीरिक निर्योग्यता या पागलपन से पीड़ित हैं और जिनका भरण-पोषण उसके द्वारा किया जाता है या उनमें से ऐसे बच्चे जो उसकी मृत्यु के समय उसके उत्तरजीवी है, सम्मिलित है;

(च) "निधि का सदस्य" से ऐसा अधिवक्ता अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निधि के फायदों के लिए सम्मिलित कर लिया गया है और जो उसका सदस्य बना रहता है;

(छ) "नामनिर्देशिती" से निधि के सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसी सदस्यता से उदभूत फायदों को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त नामनिर्देशिती अभिप्रेत है;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा, बार काउन्सिल द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "स्टाम्प" या "कल्याण निधि फीस स्टाम्प" से धारा 19 के अधीन मुद्रित और वितरित स्टाम्प अभिप्रेत है;

(ञ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ट) "विधि व्यवसाय का निलम्बन" से अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का स्वैच्छिक निलम्बन या वृत्तिक या अन्य अवचार के लिए बार काउन्सिल द्वारा किया गया निलम्बन अभिप्रेत है;

(ठ) "न्यासी समिति" से धारा 4 के अधीन स्थापित समिति अभिप्रेत है ;

(ड) "वकालतनामा" से अभिप्रेत है और इसमें सम्म्िालित है उपसंजाति ज्ञापन या कोई भी ऐसा अन्य दस्तावेज जिसके द्वारा किसी अधिवक्ता को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष, या साक्ष्य लेने या किसी विवाद के न्यायनिर्णित या विनिश्चित करने के लिए किसी भी विधि द्वारा

वैध रूप से प्राधिकृत अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपसंजात होने या अभिवचन करने के लिए सशक्त किया जाता है। किन्तु इसमें केवल स्थगन चाहने के प्रयोजन के लिए अन्य अधिवक्ता की ओर से उपसंजात होने के लिए किसी अधिवक्ता को प्राधिकृत करने वाला उपसंजाति ज्ञापन सम्मिलित नहीं है; और;

(ढ) "वर्ष" से जुलाई के प्रथम दिन से प्रारंभ और आगामी तीस जून को समाप्त होने वाली बारह महीने की कालावधि अभिप्रेत है।

अध्याय-2

अधिवक्ता कल्याण निधि का गठन

3. अधिवक्ता कल्याण निधि का गठन.- (1) राज्य सरकार "अधिवक्ता कल्याण निधि" के नाम से एक निधि का गठन करेगा।

(2) इस निधि में निम्नलिखित जमा किया जावेगाः-

(क) निधि के गठन के समय इसमें बार काउन्सिल द्वारा अभिदत्त की जाने वाली पचास हजार रुपये को प्रारम्भिक रकम;

(ख) कोई भी और अभिदाय जो बार काउन्सिल द्वारा किया जाये;

(ग) धारा 13 के अधीन बार काउन्सिल द्वारा संदत्त रकम;

(घ) भारत की बार काउन्सिल, किसी भी बार संगम, किसी भी अन्य संगम या संस्था, किसी भी अधिवक्ता या किसी भी व्यक्ति द्वारा इस निधि में किया गया कोई स्वैच्छिक दान या अभिदाय;

(ड.) कोई भी अनुदान, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से किये गये विनियोजन के अधीन इस निधि में दिया जाये;

(च) धारा 10 के अधीन उधार ली गयी कोई राशि;

(छ) इस निधि के किसी सदस्य की मृत्यु पर किसी भी समूह बीमा पालिसी के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त समस्त राशियां;

(ज) निधि के सदस्यों की समूह बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश;

(झ) निधि के किसी भी भाग के किये गये किसी भी विनिधान पर कोई ब्याज या लाभांश या अन्य आमदनी;

(ञ) धारा 16 के अधीन [प्रवेश फीस] वार्षिक अभिदान और उन पर ब्याज के लेखे संगृहीत सभी राशियां; और

(ट) धारा 19 के अधीन स्टाम्पों के विक्रय से संगृहीत सभी राशियां ।

अध्याय-3

न्यासी समिति की स्थापना

4. न्यासी समिति की स्थापना.- (1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, "राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति" के नाम से एक समिति की स्थापना करेगी।

(2) न्यासी समिति उपर्युक्त नाम का एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे सम्पत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने और संविदा करने की शक्ति होगी और जो उक्त नाम से वाद ला सकेगी तथा जिसके विरुद्ध उक्त नाम से वाद लाया जा सकेगा।

(3) न्यासी समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) राजस्थान की बार काउन्सिल का अध्यक्ष जो न्यासी समिति का अध्यक्ष होगा-पदेन;

(ख) महाधिवक्ता, राजस्थान-पदेन सदस्य;

(ग) विधि सचिव, राजस्थान सरकार पदेन सदस्य;

(घ) राजस्थान की बार काउन्सिल की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष- पदेन सदस्य;

(ड.) बार काउन्सिल द्वारा मनोनीत, बार काउन्सिल के तीन अन्य सदस्यः और

(च) बार काउन्सिल का सचिव, जो न्यासी समिति का भी सचिव होगा- पदेन ।

(4) उप-धारा (3) के खंड (ड.) के अधीन बार काउन्सिल द्वारा मनोनीत कोई सदस्य चार वर्ष की अवधि तक या बार काउन्सिल में उसकी सदस्यता की कालावधि तक, जो भी कम हो, पद धारण करेगा।

5. न्यासी समिति में नाम निर्देशित सदस्य की निरर्हता और हटाया जाना.- कोई भी व्यक्ति धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ड.) के अधीन न्यासी समिति का सदस्य नाम निर्देशित नहीं किया जायेगा और न ही सदस्य के रूप में बना रहेगा, यदि वह-

(क) विकृत चित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(ख) न्यायनिर्णीत दिवालिया है या किसी भी समय ऐसा रहा है; या

(ग) नैतिक अक्षमता अन्र्तवलित किसी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय द्वारा सिद्धदोष टहराया जाता है या ठहराया गया है, जब तक कि ऐसी दोषसिद्धि अपास्त न कर दी गयी हो; या

(घ) निधि का व्यतिकमी है; या

(ङ) वृत्तिक या अन्य दुराचार के आधार पर विधि व्यवसाय करने से विवर्जित कर दिया जाता है; या

(च) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 25) के अधीन अधिवक्ता नहीं रहा है।

6. नामनिर्देशित सदस्य का त्याग-पत्र और आकस्मिक रिक्ति.- (1) बार काउन्सिल द्वारा धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित कोई भी न्यासी समिति के अध्यक्ष को तीन मास की लिखित सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और न्यासी समिति के अध्यक्ष द्वारा ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार कर लिये जाने पर उक्त सदस्य के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(2) यदि धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित कोई भी सदस्य,-

(क) धारा 5 में उल्लिखित किसी भी निरर्हता के अध्यधीन हो गया है; या

(ख) न्यासी समिति की तीन से अधिक क्रमवर्ती बैठकों में न्यासी समिति की इजाजत के बिना अनुपस्थित है,-

तो तत्पश्चात् उसका पद रिक्त जो जायेगा ।

(3) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन उदभूत नामनिर्देशित सदस्य की आकस्मिक रिक्ति उसी रीति से और उसी अवधि या कालावधि के लिए जो धारा 4 में उल्लिखित है, यथासंभव शीघ्रता से, भरी जायेगी।

7. न्यासी समिति के कार्य, रिक्ति, त्रुटि या अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे.- न्यासी समिति द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गयी कार्यवाहियां मात्र निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होंगीः-

(क) न्यासी समिति के गठन में कोई त्रुटि या रिक्ति; या
(ख) उसके सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि या अनियमितता; या
(ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करने वाले ऐसे कार्य या कार्यवाहियों में कोई त्रुटि या अनियमितता ।

8. निधि का निहित होना और उसका उपयोजन.- निधि इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए और इसके प्रयाजनों के लिए न्यासी समिति में निहित होगी और उसके द्वारा धारित तथा उपयोजित की जायेगी।

9. न्यासी समिति के कृत्य.- (1) न्यासी समिति निधि का प्रबन्ध करेगी।

(2) निधि के प्रबन्ध में न्यासी समिति, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए,-

(क) निधि का संग्रहण, परिरक्षण, प्रबन्ध और उपयोग करेगी;
(ख) निधि से सम्बन्धित रकमें और आस्तियां न्यासतः रखेगी;
(ग) निधि में सम्मिलित या पुनः सम्मिलित होने के आवेदन प्राप्त करेगी और ऐसे आवेदनों का निपटारा उनकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर करेगी;
(घ) निधि में से संदाय के लिए निधि के सदस्यों, उनके नाम निर्देशितियों, आश्रितों या, यथास्थित्ति, विधिक प्रतिनिधियों से आवेदन प्राप्त करेगी और ऐसे आवेदनों के निपटारे के लिए ऐसी जांच करेगी जैसी वह आवश्यक समझे और आवेदनों का उनकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर निपटारा करेगी:

(ङ) न्यासी समिति को कार्यवृत्त पुस्तक में, खण्ड (ग) और (घ) के अधीन प्राप्त आवेदनों पर अपने विनिश्चय अभिलिखित करेगी;

(च) आवेदक को अनुसूची में विनिदिष्ट दरों से रकमों का संदाय करेगी;

(छ) राज्य सरकार और बार काउन्सिल को ऐसी नियतकालिक और वार्षिक रिपोर्ट भेजेगे जैसे की विहित की जाये;

(ज) आवेदकों को, निधि में सम्मिलित या पुनः सम्मिलित होने के आवेदनों या निधि के फायदें के दावों पर अपने विनिश्चय रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से संसूचित करेगी;

(झ) उतने अधिकारियों तथा सेवकों को, जितने वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो विहित की जायें, नियुक्त करेगी; और

(ञ) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन उसके द्वारा किये जाने अपेक्षित है या किए जायें।

10. निधियां, उधार और विनिधान.- (1) न्यासी समिति राज्य सरकार और बार काउन्सिल के पूर्वानुमोदन से, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कोई राशि समय-समय पर उधार ले सकेगी।

(2) न्यासी समिति निधि की भाग रूप समस्त धनराशियों और प्राप्तियों को किसी भी अनुसूचित बैंक में जमा करा देगी या उनका विनिधान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी भी निगम द्वारा लिए जाने वाले ऋण में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण में या किसी भी ऐसी अन्य रीति से कर सकेगी जो न्यासी समिति राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर विनिश्चिय करे।

(3) इस अधिनियम के अधीन देय और संदेय सभी रकमों का और निधि के प्रबन्ध तथा प्रशासन से सम्बंधित समस्त व्यय का संदाय निधि में से किया जायेगा।

11. लेखे और संपरीक्षा.- (1) न्यासी समिति लेखा-बहिया और अन्य बहिया ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से रखेगी और संधारित करेगी जो विहित की जायें।

(2) न्यासी समिति के लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा बार काउन्सिल द्वारा नियुक्त चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा की जायेगी।

(3) चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा यथा संपरीक्षित, न्यासी समिति के लेखे उस पर उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट के सहित, न्यासी समिति द्वारा बार काउन्सिल को अग्रेषित किये जायेंगे और बार काउन्सिल उसके संबंध में ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे।

(4) न्यासी समिति उप-धारा (3) के अधीन बार काउन्सिल द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगी।

(5) न्यासी समिति निधि में से संपरीक्षा के प्रभारों का संदाय करेगी।

(6) वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि और संपरीक्षित लेखे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत सभी बार संगमों को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

12. सचिव की शक्तियां और कर्तव्य.- न्यासी समिति का सचिव-

(क) न्यासी समिति का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा और उसके विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) न्यासी समिति की और से और उसके विरुद्ध लाये गये सभी वादों तथा कार्यवाहियों में न्यासी समिति का प्रतिनिधित्व करेगा;

(ग) अपने हस्ताक्षरों से न्यासी समिति के सभी विनिश्चयों और अनुदेशों को अधिप्रमाणित करेगा;

(घ) न्यासी समिति के बैंक खातों का न्यासी समिति के अध्यक्ष या उसके नाम-निर्देशिती के साथ संयुक्त रूप से संचालन करेगा;

(ङ) न्यासी समिति की बठकें बुलायेगा और उसके कार्यवृत अभिलिखित करेगा;

(च) न्यासी समिति की बैठकों में सभी आवश्यक अभिलेखों और जानकारी के साथ उपस्थित होगा;

(छ) ऐसे प्ररूप, रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख रखेगा जो समय-समय पर विहित किये जायें और न्यासी समिति से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार करेगा;

(ज) न्यासी समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये काम-काज का वार्षिक विवरण-पत्र तैयार करेगा; और

(झ) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो न्यासी समिति और बार काउन्सिल द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

13. निधि में निश्चित धन का अन्तरण.- बार काउन्सिल अपने द्वारा वसूल की गई नामांकन फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम प्रति वर्ष निधि में संदत्त करेगी।

अध्याय-4

बार संगमों को मान्यता और उनका रजिस्ट्रीकरण

14. बार संगमों को मान्यता और उनका रजिस्ट्रीकरण.-(1) राज्य के किसी भी भाग में कृत्यशील किसी भी नाम से ज्ञात अधिवक्ताओं के सभी संगम बार काउन्सिल द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाने वाली तारीख से पूर्व मान्यता और रजिस्ट्रीकरण के लिए बार काउन्सिल को ऐसे प्ररूप में आवेदन करेंगे जो विहित किया जाये।

परन्तु बार काउन्सिल से मान्यता और रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले प्रत्येक बार संगम के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा:

परन्तु यह और कि बार काउन्सिल द्वारा मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत विद्यमान बार संगम, यदि पहले से रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ की तारीख से छह महीने के भीतर-भीतर स्वयं को राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत करवायेंगे जिसमें विफल रहने पर बार काउन्सिल ऐसे संगम के विरुद्ध उप-धारा (5) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी:

परन्तु यह भी कि बार काउन्सिल, अच्छे और पर्याप्त कारणों से, छह महीने की उक्त कालावधि को एक वर्ष से अनधिक की और कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी

(2) मान्यता और रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ संगम के या उप-विधियां, संगम के पदाधिकारियों के नाम और पते तथा संगम के सदस्यों की प्रत्येक सदस्य के नाम, पते, आयु, नामांकन की तारीख और विधि व्यवसाय करने के सामान्य स्थान को वर्णित करने वाली अद्यतन सूची लगायी जायेगी।

(3) बार काउन्सिल ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे संगम को मान्यता प्रदान कर सकेगी और ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगी जो विहित किया जाये।

(4) किसी बार संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण से संबंधित बार काउन्सिल का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) बार काउन्सिल बार संगम की मान्यता को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्त्तव्यों की उपेक्षा के कारण वापस ले सकेगी:

परन्तु उप-धारा (5) के अधीन कोई भी आदेश संबंधित बार संगम को सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

15. बार संगमों के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक बार संगमों प्रति वर्ष 15 अप्रेल को या उससे पूर्व्र उस वर्ष की 31 मार्च को उसके जितने सदस्य थे, उनकी एक सूची बार काउन्सिल तथा न्यासी समिति का प्रस्तुत करेगा;

(2) प्रत्येक बार संगम-

(क) संगम के पदाधिकारियों के किसी परिवर्तन के बारे में, ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर;

(ख) सदस्यता के किसी परिवर्तन जिसके- अन्तर्गत सम्म्िालित तथा पुनः सम्मिलित किया जाना भी है और सदस्य के पते के परिवर्तन के बारे में, ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर;

(ग) उसके किसी सदस्य द्वारा विधि व्यवसाय के बंद कर दिये जाने या विधि व्यवसाय के स्वेच्छिक निलम्बन या सदस्य की मृत्यु के बारे में, ऐसे विधि व्यवसाय के बन्द कर दिये जाने या निलम्ब्ान या मृत्यु की तारीख से तीस दिन के भीतर; और

(गग) उसके किन्हीं भी सदस्यों द्वारा कोई भी अन्य कारबार, वृत्ति या व्यवसाय हाथ में लेने के बारे में, जैसे ही वह बार संगम की जानकारी में आये;

(घ) ऐसे अन्य मामलों के बारे में जिनकी समय-समय पर बार काउन्सिल या न्यासी समिति अपेक्षा करे-

काउन्सिल तथा न्यासी समिति को सूचना देगा।

(3) प्रत्येक बार संगम अपने संविधान, नियमों या उप-विधियों के अनुसार यथासमय निर्वाचन करायेगा और राजस्थान की बार काउन्सिल या भारत की बार काउन्सिल द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या निदेशों का पालन करेगा।

अध्याय-5

निधि की सदस्यता और उसको संदाय

16. निधि की सदस्यता.- (1) किसी भी न्यायालय, अधिकरण या राज्य में साक्ष्य लेने या किसी भी विवाद को अधिनिर्णित या विनिश्चत करने के लिए किसी भी विधि द्वारा विधितः प्राधिकृत अन्य अधिकारी के समक्ष

विधि व्यवसाय करने वाला प्रत्येक अधिवक्ता निधि के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के लिए न्यासी समिति को ऐसे प्ररुप में आवेदन करेगा जो विहित किया जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त हो जाने पर न्यासी समिति ऐसी जाँच करेगी जो वह उचित समझे तथा या तो आवेदक को निधि के लिए सम्मिलित कर लेगी, या, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों, आवेदन को नामंजूर कर देगी:

'परन्तु आवेदन को नामंजूर करने वाला भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि आवेदक को उसके आवेदन के नामंजूर किये जाने के विरुद्ध सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) प्रत्येक आवेदक सदस्यता के आवेदन के साथ 800/- रूपये की प्रवेश फीस का एकमुश्त संदाय करेगा जो न्यासी समिति के खाते में जमा की जायेगी।

(4) आवेदन की नामंजूरी की दशा में संदत्त प्रवेश फीस आवेदक को लौटा दी जायेगी।

(5) प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 30 जून को या उसके पूर्व निधि में निम्नलिखित दरो से वार्षिक अभिदान का अग्रिम रूप से संदाय करेगा, अर्थात:-

(i) जहां अधिवक्ता की बार में अवस्थिति पांच वर्ष से कम है 500/- रुपये

(ii) जहां अधिवक्ता की बार में अवस्थिति पांच वर्ष हो गयी है या दस वर्ष से कम है 1500/-रुपये

(iii) जहा अधिवक्ता की बार में अवस्थिति दस वर्ष या उससे अधिक है 2500/-रुपये

परन्तु निधि का कोई सदस्य 50,000/- रुपये की राशि एकमुश्त जमा करा सकेगा और उस दशा में उससे वार्षिक अभिदान का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी:

परन्तु यह भी कि यदि चालू वर्ष का वार्षिक अभिदान 30 जून को या उससे पूर्व संदत्त नहीं किया जाता है तो निधि का सदस्य, अभिदान के शोध्य होने की तारीख से तीन मास के पश्चात्, बकाया की रकम पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।

(6) कोई भी सदस्य, जो वार्षिक अभिदान का प्रेषण उप-धारा (5) में उल्लिखित सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व करने में असफल रहता है, उस पर न्यासी समिति द्वारा एक महीने का लिखित नोटिस डाक प्रमाणपत्र के अधीन जारी कर दिये जाने पर, न्यासी समिति द्वरा निधि की सदस्यता से हटाये जाने का भागी होगा ।

(7) उप-धारा (6) के अधीन निधि की सदस्यता से हटाये गये किसी व्यक्ति को, उससे शोध्य अभिदान की बकाया का उस पर अभिदान के शोध्य होने की तारीख से [7 प्रतिशत प्रतिवर्ष] दर से ब्याज का और पुनः प्रवेश फीस के रूप में 100/- रुपये का संदाय, हटाये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर कर दिये जाने पर, न्यासी समिति द्वारा निधि में पुनः सम्मिलित कर कर लिया जायेगा:

परन्तु जहां कोई सदस्य पुनः सम्मिलित किये जाने के लिए नियत कालावधि के भीतर आवेदन नहीं करता है वहां अभिदान के रूप में जमा रकम उसे लौटा दी जायेगी यदि उसे धारा 25 के अधीन कोई भी अनुग्रह अनुदान मंजूर नहीं किया गया है या, वह धारा 17 के अधीन किसी भी फायदे का हकदार नहीं है।

(8) निधि का सदस्य, निधि की सदस्यता मिल जाने के पश्चात किसी भी समय एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करते हुए विहित प्ररूप में नाम निर्देशन कर सकेगा जो उसकी मृत्यु की दशा में निधि की सदस्यता से उदभूत फायदे प्राप्त कर सकें।

(9) यदि कोई सदस्य उप-धारा (8) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता है तो वह नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय रकम या अंश को इस प्रकार से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसमें वह सारी रकम सम्मिलित हो जाये जो उसको देय हो।

(10) कोई सदस्य न्यासी समिति को लिखित में सूचना भेजकर अपने नामनिर्देशन को किसी भी समय रद्द कर सकेगा और उस स्थिति में वह अपनी सदस्यता के चालू रहने के दौरान उप-धारा (8) के अनुसार नया नाम निर्देशन करने का हकदार होगा।

(11) प्रत्येक सदस्य, जो स्वेच्छा से विधि-व्यवसाय निलम्बित कर देता है या उससे निवृत्त हो जाता है, ऐसे निलम्बन या निवृत्ति के पन्द्रह दिन के भीतर इस तथ्य की सूचना न्यासी समिति को देगा और यदि ऐसा सदस्य बिना पर्याप्त कारण के ऐसा करने में असफल रहता है तो न्यासी समिति ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जाये, उस सदस्य को देय रकम में कमी कर सकेगी ।

(12) ऐसा कोई सदस्य, जो राजस्थान में विधि व्यवसाय करना बंद कर देता है, निधि का स्वतः सदस्य नहीं रह जायेगा और ऐसा सदस्य उसके द्वारा जमा अभिदान की रकम प्राप्त करने का हकदार होगा यदि उसे धारा 25 के अधीन कोई भी अनुग्रह अनुदान या, यथास्थिति, धारा 17 के अधीन के फायदे ऐसा सदस्य न रहने की तारीख तक मंजूर नहीं किये गये हैं।

(13) निधि का ऐसा कोई सदस्य, जिसे अधिवक्ता अधिनियम के अधीन वृत्तिक अवचार के लिए दण्डित किया जाता है और विधि व्यवसाय से निलम्बित कर दिया जाता है, ऐसे निलम्बन की कालावधि के लिए निधि के फायदों का हकदार नहीं होगा और न उससे ऐसी कालावधि के लिए वार्षिक अभिदान का संदाय करने की अपेक्षा की जायेगी।

17. विधि व्यसाय के बन्द कर दिये जाने पर निधि से संदाय.- (1) निधि का कोई सदस्य, जो निधि का सदस्य बन जाने के पश्चात् विधि व्यवसाय की पांच वर्ष की कालावधि पूरी कर लेता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विधि व्यवसाय के बन्द कर दिये जाने पर निधि से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, अपनी अवस्थिति के वर्षों की संख्या के अनुरूप रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.- (i) इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए निधि के किसी सदस्य की अवस्थिति के वर्षों की संख्या संगणित करने के प्रयोजन के लिए निधि के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने से पूर्व अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय के प्रत्येक चार वर्ष को एक वर्ष की अवस्थिति के रूप में गिना जायेगा और ऐसे सम्मिलित किये जाने में पूर्व चार वर्ष से ऊपर के विधि-व्यवसाय के प्रत्येक वर्ष को तीन महीने की अवस्थिति के बराबर गिना जायेगा तथा इस प्रकार गिने गये अवस्थिति के वर्षों की कुल संख्या ऐसे सम्मिलित किये जाने के पश्चात् के विधि व्यवसाय के वर्षों की संख्या में जोड़ दी जायेगी।

(ii) अवस्थिति के वर्षों की गणना के प्रयोजन के लिए उस कालावधि पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके दौरान निधि का कोई सदस्य निलम्बित रहा:

परन्तु कोई सदस्य व्यवसाय के वर्षों की संख्या को स्पष्टीकरण (i) के अनुसार विभाजित करने के पश्चात् शेष रही किसी भिन्न, यदि कोई हो, के लिए 500/- रू. की रकम का दावा करने का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में इस उप-धारा के अधीन संदेय राशि अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट रकम या पांच लाख रूपये, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी:

परन्तु यह भी कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.9) के प्रारंभ के पश्चात् निधि में सम्मिलित किया गया सदस्य स्पष्टीकरण (i) के फायदे का हकदार नहीं होगा।

(2) निधि के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में वह रकम जिसका वह सदस्य हकदार है, उसके नामनिर्देशिती या जहां कोई नामनिर्देशिती नहीं हो वहां, सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के अध्यधीन रहते हुए उसके आश्रितों तथा उनके अभाव में उसके विधिक वारिसों को संदत्त की जायेगी ।

(3) उप-धारा (1) के अनुसार संदेय रकम का दावा पंद्रह वर्ष का व्यवसाय होने के पश्चात् या पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जा सकेगा किंतु सदस्य का अधिवक्ता के रूप में निवृत्त होना पड़ेगा और वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने का और निधि का सदस्य बनने का हकदार नहीं होगा:

परन्तु स्थायी नि:शक्तता से ग्रस्त किसी सदस्य को सदस्यता के पन्द्रह वर्ष या पचास वर्ष की आयु या, यथास्थिति, दोनों पूरे होने के पूर्व रकम आहरित करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(4) निधि से किसी सदस्य को अनुज्ञेय रकम के संदाय के लिए आवेदन उसके द्वारा न्यासी समिति को ऐसे प्ररूप में किया जायेगा जो विहित किया जाये। जब कोई सदस्य निधि के लिए उसके सम्मिलित किये जाने से पांच वर्ष के भीतर (उसकी मृत्यु हो जाने से अन्यथा) स्वेच्छा से विधि व्यवसाय बंद कर दे तब वह धारा 16 की उप-धारा (5) के अधीन उसके द्वारा संदत्त वार्षिक अभिदान के प्रतिदाय का, उसके द्वारा इसके लिए ऐसे प्ररूप में आवेदन करने पर जो विहित किया जाये, हकदार होगा।

(5) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन प्राप्त आवेदन न्यासी समिति द्वारा ऐसी जाँच के पश्चात निपटाया जायेगा जैसी वह आवश्यक समझे ।

18. निधि में के फायदों पर निर्बंधन.- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि कोई अधिवक्ता निधि में उसके सम्मिलित हो जाने के पश्चात् कोई नियोजन ग्रहण कर लेता है तो वह निधि का सदस्य नहीं रह जायेगा और यदि वह, तत्पश्चात् पंद्रह वर्ष की कालावधि के भीतर निधि में पुनः

सम्मिलित हो जाता है तो वह अवस्थिति के ऐसे वर्षों की संख्या के लिए, जिनके लिए वह ऐसा ते नियोजन ग्रहण करने के पूर्व और पुनः सम्मिलित होने के पश्चात् निधि का सदस्य रहता है, धारा 17 से संलग्न अनुसूची के अनुसार फायदे का हकदार होगा।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी नियोजक के अधीन पंद्रह वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए सेवा करने के पश्चात् अधिवक्ता के रूप में अपना अभ्यावेशन करता है या पुनरारंभ करता है, न तो निधि का सदस्य होने और न निधि का कोई फायदा प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो पूर्णकालिक सेवा में है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 25) और तद्धीन भारतीय बार काउन्सिल और राज्य बार काउन्सिल द्वारा बनाये गये नियमों के उपबंधों के आधार पर स्वयं को अभ्यावेशित करवा लेता है तो वह निधि का सदस्य होने का हकदार नहीं होगा।

अध्याय-6
स्टाम्पों का मुद्रण और वितरण

19. न्यासी समिति/बार काउन्सिल द्वारा स्टाम्पों का मुद्रण और वितरण.- (1) न्यासी समिति/बार काउन्सिल एक सौ रूपये के मूल्य के कल्याण निधि स्टाम्प मुद्रित और वितरित करवायेगी जिन पर न्यासी समिति/बार काउन्सिल के संप्रतीक सहित उनका मूल्य और क्रम संख्याक अन्तर्लिखित होगा ।

(2) स्टाम्प 1 “X 2” के आकार के होंगे और केवल निधि के सदस्यों को ही बेचे जायेंगे।

(3) स्टाम्पों की अभिरक्षा न्यासी समिति/बार काउन्सिल के जिम्मे होगी।

(4) न्यासी समिति/बार काउन्सिल स्टाम्पों के वितरण और विक्रय का नियंत्रण बार संगमों के जरिये करेगी।

(5) न्यासी समिति/बार काउन्सिल और बार संगम स्टाम्पों के समुचित लेखे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखेंगी जो विहित की जाये ।

(6) बार संगम न्यासी समिति/बार काउन्सिल से स्टाम्पों की खरीद उनके मूल्य का संदाय करके करेंगे जो ऐसे मूल्य का दस प्रतिशत, आनुषंगिक खर्चों के पेटे घटाकर किया जायेगा।

(7) स्टाम्प विक्रेता भी बार काउन्सिल/न्यासी समिति से सीधे ही स्टाम्पों की खरीद स्टाम्पों के अंकित मूल्य के संदाय पर ऐसे अंकित मूल्य में कमीशन का पाँच प्रतिशत कम कराके कर सकेगा।

20. वकालतनामों पर स्टाम्प का लगाया जाना.- (1) प्रत्येक अधिवक्ता उसके द्वारा दाखिल किये गये प्रत्येक वकालतनामें की धारा 19 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एक सौ रुपये का कल्याण निधि फीस स्टाम्प लगायेगा और कोई भी वकालतनामा किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी या धारा 16 में निर्दिष्ट व्यक्ति के समक्ष दाखिल या उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा जब तक, कि वह इस प्रकार स्टाम्पित न हो :

परन्तु यह किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष दाखिल या उसके द्वारा प्राप्त किये गये प्रत्येक वकालतनामें पर इस प्रकार लगाये जाने वाले स्टाम्प के मूल्य में प्रति वर्ष दस रुपये की वृद्धि होगी, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 01 जुलाई से प्रारम्भ होगी।

(2) स्टाम्प का मूल्य न तो मामले में का खर्चा होगा और न ही किसी भी दशा में मुवक्किल से प्राप्त या संगृहीत किया जायेगा।

(3) यदि निधि का कोई सदस्य अपने मुवक्किल से स्टाम्प का मूल्य प्राप्त या संगृहीत करता है तो वह दुराचार का दोषी समझा जायेगा और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 25) की धारा 35 में अन्तर्विष्ट उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित निधि के ऐसे सदस्य पर लागू होंगे।

21. स्टाम्पों का रद्दकरण.- धारा 20 की उप-धारा (1) के अधीन किसी भी न्यायायल या अधिकरण में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष फाइल किये गये वकालतनामे पर लगायी गयी प्रत्येक स्टाम्प राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम, 23) की धारा 68 के अधीन उपबंधित रीति से रद्द की जायेगी।

अध्याय-7

विविध

22. न्यासी समिति की बैठक.- न्यासी समिति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन कामकाज करने के लिये तीन कलेण्डर महीनों में कम से कम एक बार या, यदि आवश्यक समझा जाये तो अधिक बार, बैठक करेगी।

23. बैठक करने की रीति.- (1) न्यासी समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति समिति के एक चौथाई सदस्यों से होगी।

(2) न्यासी समिति का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य न्यासी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) न्यासी समिति की बैठकें सामान्यतया बार काउन्सिल के कार्यालय में की जायेगी।

(4) न्यासी समिति की बैठक के समक्ष आने वाला कोई भी मामला बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किया जायेगा तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत निर्णायक होगा ।

(5) न्यासी समिति के सचिव की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

24. न्यासी समिति के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता.- न्यासी समिति के सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्तें प्राप्त करने के पात्र होंगे जो बार काउन्सिल के सदस्यों को अनुज्ञेय हैं ।

25. निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान.- (1) न्यासी समिति, उसको आवेदन के प्रस्तुत होने पर तथा दावे की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात् किसी सदस्य को निधि से निम्नलिखित दशा में अनुग्रह अनुदान अनुज्ञात कर सकेगी –

(क) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न, किसी गंभीर शल्य क्रिया के अन्तर्ग्रस्त होने पर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में: या

(ख) यदि उसकी ओपन हार्ट सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण या एन्जियोप्लास्टी होती है या वह क्षय, कुष्ठ, पक्षाघात, कैन्सर, चित्तविकृति, एड्स, पैराप्लेजिया या किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित पचास प्रतिशत से अधिक की निःशक्तता से या ऐसे ही किसी अन्य गंभीर रोग से पीड़ित है।

(2) इस प्रकार अनुजात अनुदान खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में 80,000/-रूपये और खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में 2,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होगाः

परन्तु ऐसा दावा तीन वर्ष की कालावधि में एक बार से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि 45 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रवेश या पुनः प्रवेश करने वाला सदस्य कोई भी अनुगृह अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर कोई भी आवेदन प्राप्त होने की दशा में, न्यासी समिति द्वारा उप-

धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन इस प्रकार अनुजात किया गया अनुदान मंजूर की गयी रकम में से घटाया जायेगा।

26. सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य फायदे.- -न्यासी समिति निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए-

(क) निधि के सदस्यों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह बीमा पॉलिसियां ले सकेगी;

(ख) निधि के सदस्यों तथा उनके आश्रितों के लिए चिकित्सीय तथा शैक्षिक सुविधाएं, जिसमे उक्त प्रयोजन के लिए बीमा भी सम्मिलित है, उपलब्ध करा सकेगी; या

(ग) ऐसे अन्य फायदे और सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी जो विहित की जाये ।

27. सदस्य के निधि में के हित के अन्य संक्रामण**,** कुर्की आदि पर निर्बन्धन.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, किसी भी सदस्य के निधि में के हित या निधि से कोई भी रकम प्राप्त करने के सदस्य या उसके नामनिर्देशिती, आश्रितों या विधिक वारिसों के अधिकार को समनुदेशित, अन्य संक्रान्त या प्रभारित नहीं किया जायेगा और वह किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति की किसी डिक्री या आदेशों के अधीन कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा ।

(2) निधि के किसी सदस्य का कोई भी लेनदार निधि या ऐसे सदस्य या उसके नाम निर्देशिती, आश्रितों या विधिक वारिसों के उसमें के हित के विरुद्ध कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए 'लेनदार' में राज्य या दिवाला सम्बन्धी किसी भी विधि या तत्समंय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन नियुक्त शासकीय समनुदेशिती या रिसीवर सम्मिलित है।

28. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए परित्राण.- (1) ऐसी किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसार सद्भावपूर्वक की गयी है या किये जाने के लिए आशयित है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी ।

(2) ऐसी किसी बात से, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसार सद्भावपूर्वक की गयी है या किये जाने के लिए आशयित है, कारित या कारित होने के लिए संभावित किसी नुकसान के लिए न्यासी समिति या बार काउन्सिल के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी।

29. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.-किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी ऐसे प्रश्न को तय, विनिश्चित या संव्यवहृत करने या किसी भी ऐसे मामले को अवधारित करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन न्यासी समिति या बार काउन्सिल द्वारा तय, विनिश्चित, संव्यवहृत या अवधारित किया जाना है।

30. साक्षियों को समन करने तथा साक्ष्य लेने की शक्ति.- न्यासी समिति और बार काउन्सिल निम्नलिखित मामलों के सम्बंध में इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के प्रयाजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना या शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पर या शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य प्राप्त करना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ।

31. न्यासी समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.- (1) न्यासी समिति के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील बार काउन्सिल में होगी। अपील विहित प्ररूप में होगी और उसके साथ उस विनिश्चय की प्रतिलिपि लगायी जायेगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है। अपील उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल की जा सकेगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।

(2) अपील पर बार काउन्सिल का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

32. नियम बनाने की शक्ति.- बार काउन्सिल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

अनुसूची

(धारा 17 देखिऐ)

5 वर्ष की सदस्यता	:	50,000/- रूपये
6 वर्ष की सदस्यता	:	58,000/- रूपये
7 वर्ष की सदस्यता	:	66,000/- रूपये
8 वर्ष की सदस्यता	:	74,000/- रूपये
9 वर्ष की सदस्यता	:	82,000/- रूपये
10 वर्ष की सदस्यता	:	92,000/- रूपये
11 वर्ष की सदस्यता	:	1,02,000/- रूपये
12 वर्ष की सदस्यता	:	1,12,000/- रूपये
13 वर्ष की सदस्यता	:	1,22,000/- रूपये
14 वर्ष की सदस्यता	:	1,32,000/- रूपये
15 वर्ष की सदस्यता	:	1,42,000/- रूपये
16 वर्ष की सदस्यता	:	1,55,000/- रूपये
17 वर्ष की सदस्यता	:	1,68,000/- रूपये
18 वर्ष की सदस्यता	:	1,81,000/- रूपये
19 वर्ष की सदस्यता	:	1,94,000/- रूपये
20 वर्ष की सदस्यता	:	2,07,000/- रूपये
21 वर्ष की सदस्यता	:	2,25,000/- रूपये
22 वर्ष की सदस्यता	:	2,43,000/- रूपये
23 वर्ष की सदस्यता	:	2,61,000/- रूपये
24 वर्ष की सदस्यता	:	2,79,000/- रूपये
25 वर्ष की सदस्यता	:	2,97,000/- रूपये
26 वर्ष की सदस्यता	:	3,22,000/- रूपये
27 वर्ष की सदस्यता	:	3,47,000/- रूपये
28 वर्ष की सदस्यता	:	3,72,000/- रूपये
29 वर्ष की सदस्यता	:	3,97,000/- रूपये
30 वर्ष की सदस्यता	:	4,22,000/- रूपये

31 वर्ष की सदस्यता	:	4,56,000/- रूपये
32 वर्ष की सदस्यता	:	4,90,000/- रूपये
33 वर्ष की सदस्यता	:	5,24,000/- रूपये
34 वर्ष की सदस्यता	:	5,58,000/- रूपये
35 वर्ष की सदस्यता	:	5,92,000/- रूपये
36 वर्ष की सदस्यता	:	6,37,000/- रूपये
37 वर्ष की सदस्यता	:	6,82,000/- रूपये
38 वर्ष की सदस्यता	:	7,27,000/- रूपये
39 वर्ष की सदस्यता	:	7,72,000/- रूपये
40 वर्ष की सदस्यता	:	8,17,000/- रूपये
41 वर्ष की सदस्यता	:	8,76,000/- रूपये
42 वर्ष की सदस्यता	:	9,35,000/- रूपये
43 वर्ष की सदस्यता	:	9,94,000/- रूपये
44 वर्ष की सदस्यता	:	10,53,000/- रूपये
45 वर्ष की सदस्यता	:	11,12,000/- रूपये
46 वर्ष की सदस्यता	:	11,89,000/- रूपये
47 वर्ष की सदस्यता	:	12,66,000/- रूपये
48 वर्ष की सदस्यता	:	13,43,000/- रूपये
49 वर्ष की सदस्यता	:	14,20,000/- रूपये
50 वर्ष की सदस्यता	:	15,00,000/- रूपये